न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 376/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. आदूराम पुत्र काछबाराम 2. डूंगरराम पुत्र आदूराम जाति–जाट निवासी–ग्राम चुतरनगर तहसील लोहावट, जोधपुर।		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर। 2. सरपंच, ग्राम पंचायत हिरामोती नगर, तेजनगर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या प.12 (3–) श्मशान/कब्रिस्तान/2022/ 2082 दिनांक 02.03.2022 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री सांवलराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2–श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 1 की ओर से।
3–रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद तामीली सूचना के अनपुस्थित।

निर्णय

दिनांकः 16 दिसम्बर, 2024

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या प.12(3–) श्मशान/कब्रिस्तान/2022/2082 दिनांक 02.03.2022 में पारित आदेश 20.06.2024 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.07.2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये परन्तु रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अपीलान्ट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस सुनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र एवं धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश करते हुए कथन किया कि तहसीलदार के द्वारा अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में ख0सं0 831 रकबा 1.1412 हैक्टर भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं बताया है जबकि वास्तव में उक्त भूमि शुरू से ही अपीलान्टस के पूर्व पुरूषों के कब्जे में रही है तथा उक्त विवादित भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है एवं वक्त सेटलमेन्ट जागीरी के समय से कब्जा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

है। उक्त भूमि पर बडे टांके का निर्माण सेटलमेन्ट से पूर्व करवाया हुआ है एवं केचमेन्ट एरिया भी छोडा हुआ है जिसमें वर्षा समय में पानी भरा जाता है। तहसीलदार द्वारा इन तथ्यों को छिपाते हुए मौका रिपोर्ट पेश कर दी थी। ऐसे में जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जिसमें ग्राम चुतरनगर के ख0सं0 831 रकबा 1.1412 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.8094 हैक्टर को राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत सार्व. प्रयोजनार्थ आरक्षित सेटअपार्ट कर दी गई है। उक्त आदेश को अपास्त कराने हेतु अपीलान्टस उचित आधारों पर पेश करना चाहता है अतः अपील पेश करने की अनुमति दी जावें क्योंकि अपीलान्टस प्रकरण में प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है एवं उसके अपीलाधीन आदेश से हक–अधिकारों पर विपरित असर पडेगा। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट के तब हुई जब ग्राम में लोगों से बाते सुनी और आदेश जारी होने का ज्ञात हुआ तब दिनांक 18.7.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करते हुए यह अपील पेश की गई है उक्त हुई सद्भाविक देरी को का क्षमा किया जावे एवं अपील को अन्दर मियाद की शुमार की जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध तथा कानून के विपरित होने से तथा तहसीलदार द्वारा गलत तथ्यों दर्शा कर तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया गया है जो काबिल खारिज के है क्योंकि मौका रिपोर्ट में उक्त विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं बताया है जबकि वास्तव में भूमि पर शुरू से ही अपीलान्टस के पूर्व पुरूषों के कब्जे में वक्त सेटलमेन्ट व जागीरी से ही रही है एवं विवादित भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है और तारबन्दी की हुई है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त भूमि में बने बडे टांका में से पानी का उपयोग सभी काश्तकार/ग्रामीणवासी करते आ रहे है। इसके पास खेत खसरा संख्या 832 का खेत आया हुआ है जिसमें 7–8 रहवासीय मकान बने है और निवासरत है तथा अन्य परिवार भी आस–पास निवासरत है। मौका रिपोर्ट में विवादित भूमि आबादी भूमि से दूर है जबकि 40–50 रहवासीय मकान चारो और बने हुए है। ऐसे में इन घरों के पास शमशान नहीं हो सकता है और न ही इस भूमि में जाने आने का कोई रास्ता है जबकि तहसीलदार के द्वारा आने जाने

संभागीय आयुक्त

के लिये सडक के पास बताया है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की मिथ्या एवं गलत रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें एवं अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावें।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लोहावट के द्वारा ग्राम चुतरनगर के ख0सं0 831 रकबा 1.1412 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.8094 हैक्टर भूमि को श्मशान प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु प्रस्तावित की गई। जिसे जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा धारा 92 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ आरक्षित/सेटअपार्ट किये जाने के आदेश दिनांक 02.03.2022 पारित किया गया है जो विधि अनुसार उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। अपीलार्थी उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित नहीं है और न ही व्यथित पक्षकार है, जिसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही अपीलाधीन आदेश से उनकी खातेदारी भूमि प्रभावित हो रही है। अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लोहावट के द्वारा ग्राम चुतरनगर के ख0सं0 831 रकबा 1.1412 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.8094 हैक्टर भूमि को श्मशान प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु प्रस्तावित की गई। जिसे जिला कलेक्टर, जोधपुर ने स्वीकार करते हुए राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत अपने आदेश दिनांक 02.03.2022 के द्वारा उक्त रकबा भूमि को सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ आरक्षित/सेटअपार्ट की गई। उक्त रकबा भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ श्मशान भूमि आरक्षित किये जाने हेतु ग्राम पंचायत, हीरामोतीनगर के द्वारा प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 06.08.2020 को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार की ओर से प्रेषित मौका जॉच रिपोर्ट में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं दर्शाया है और न ही किसी प्रकार से विवादित होना दर्शाया है। उक्त आवंटन आदेश को अपीलान्ट जो कि एक ही परिवार के सदस्य है, के द्वारा आपत्ति करते हुए यह अपील पेश की है, मात्र उक्त खसरा भूमि पर उनका अतिक्रमण होना तथा कब्जा होना बताया है लेकिन अतिक्रमण किये जाने तथा धारा 91 की कार्यवाही होना सम्बन्धी कोई दस्तावेज इत्यादि पेश नहीं किये गये है जिससे

आयुक्त

अतिक्रमण सम्बन्धी कथनों की पुष्टि होती हो। उक्त आदेश को ग्राम चुतरनगर के अन्य किसी ग्रामवासी के द्वारा चुनौती दी गई है। उक्त भूमि आवंटन करने का प्रयोजन सार्वजनिक हित में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तथा राजस्व अधिकारियों की अनुशंषा के पश्चात जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा आरक्षित की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप की कोई गुजांइश नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2022 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 16 दिसम्बर,2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

16.12.24

(अजीतसिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर